रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 28, जनवरी 1988/माघ 8, 1909
No. 44] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 1988/MAGHA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 28 जनवरी, 1988

अधिसूचना

सं 3/88-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन टी)

सा का नि 59(अ) —केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार जो उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन साधारणतया प्रचलित थी, ऐसे रबड़ चढ़े हुए टैक्सटाइल फैब्रिकों पर, जिनका भार 1500 किलोग्राम प्रति वर्गमीटर से अधिक नहीं है और जिनके भार में रबड़ अधिक है और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्षक संख्या 59 05 के अन्तर्गत आते हैं 1 मार्च, 1986 को प्रारम्भ होने वाली और 14 जनवरी 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार प्रभार्य उत्पाद-शुल्क के संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त धारा 3 के अधीन कोई उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था,

और उक्त अवधि के दौरान ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण से संबंधित अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन ऐसे रबड़ चढ़े हुए टैक्सटाइल फैब्रिकों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था

अतः केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि ऐसे रबड़ चढ़े हुए टैक्सटाइल फैब्रिकों पर उक्त अधिनियम के अधीन संदेय पूर्ण उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, यदि उक्त प्रथा न होती, ऐसे रबड़ चढ़े हुए टैक्सटाइल फैब्रिकों के संबंध में संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन पर उक्त प्रथा

के अनुसार उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था ।

[फा. सं. 59/9/87-ई एक्स-I]
ए. के. प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th January, 1988

NOTIFICATION

No. 3/88-CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 59(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on rubberised textile fabrics weighing not more than 1500 grams per square metre and in which rubber predominates in weight and falling under heading No. 59.05 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), was not being levied during the period commencing on 1st March, 1986 and ending with the 14th January, 1987, under the said section 3 read with any notification issued by the Central Government in relation to duty of excise so chargeable during the said period;

And whereas the additional duty of excise on such rubberised textile fabrics was also not being levied under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) relating to the levy of such duty during the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of said Act, the Central Goverment hereby directs that the whole of the duty of excise and the additional duty of excise payable under the said Acts, on such rubberised textile fabrics, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such rubberised textile fabrics on which the said duty of excise or the additional duty of excise was not being levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 59/9/87-Ex-I]
A. K. PRASAD, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988